संख्या-11/1025/58-2015-509/2013(1)

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.संबंधित मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2.संबंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3.निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 26 जून,2015**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रदेश के उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना का लाभ अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयान्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 के शासन के संलग्न पत्र सं0-353/ 52-3-2014-सा(30)/2013/दिनांक 17.02.2014 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लक्ष्यों में न्यूनतम 20 प्रतिशत मात्राकरण कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1533-52-3-2013-सा(30)/2013/दिनांक 24.08.2013 द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु लक्ष्यों का जनपदवार फॉट निर्धारित करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने की वांछना की गई है।

2. उक्त के क्रम में उद्यान विभाग द्वारा संचालित कृषि उन्नति योजनान्तर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की स्वीकृति भारत सरकार स्तर से प्राप्त न होने के कारण गत वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों को आधार मानते हुए अनन्तिम लक्ष्यों का फॉट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगों से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. उपरोक्त योजना में समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्नक-ख के रूप में संलग्न है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित विवरण/ सूचना जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को तथा शासन के संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभाग, परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक संलग्नक-ग पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

5. योजना से सम्बन्धित शासनादेश सं0-1533/52-2013-सा(30)/2013/दिनांक 24.08.2013 में निर्धारित अन्य शर्तों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/1025(1)/58-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन।**
2. **निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।**
3. **संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।**

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in